



संख्या- 6/2021/864/77-1-2021-02(बजट)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2021

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0-1,40,00,000.00 (एक करोड़ चालीस लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा:-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (₹0)	व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (₹0)
1	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कर्मियों के वेतनादि	1,40,00,000.00	1,40,00,000.00
2	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	10,00,000.00	शून्य
		योग:	1,50,00,000.00	1,40,00,000.00

2- मानक मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के मद में स्वीकृत धनराशि इटप, लखनऊ द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त जारी की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संस्थान के कर्मियों के वेतन हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय जाप दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

5- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक- "2885- उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 6/2021/864(1)/77-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक, इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।